न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी रूबी अंसार R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 291 / 2023 निर्णय दिनांक :–16.10.2025

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. जगफूल पुत्र देवी लाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक।

–प्रार्थी–

बनाम

1. तहसीलदार महोदय, देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. धापू पुत्र रामदेवा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक।
3. नन्दकूरी पुत्री रामदेवा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक।
4. लछमा पुत्री रामदेवा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक।
5. सहदेवसिंह पुत्र छोटूसिंह जाति मीणा उम्र बालिग निवासी सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक।

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री सुनिल कुमार शर्मा **पेरोकार सरकार**
अधिवक्ता प्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण 2 ता 5 की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजी भूमि हाल खाता संख्या 415 खसरा नम्बर 1558 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 1559 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1718 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 1719 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.19 है0, कुल किता–5, कुल रकबा 0.91 है0, वाके ग्राम सावंतगढ़ पटवारा हल्का सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 195 खसरा नम्बर 1726 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 2235 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 2236 रकबा 0.30 है0, कुल किता–3, कुल रकबा 1.23 है0, खाता संख्या 153 खसरा नम्बर 2239 रकबा 0.3600 है0 वाके ग्राम सावंतगढ़ पटवारा हल्का सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। प्रार्थी के पिता देवीलाल की मृत्यु के बाद उनका फोती नामांतकरण खोला गया उसमें सहवन से प्रार्थी का नाम फूलसिंह पुत्र देवीलाल मीणा अंकित कर दिया गया है जो गलत है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम जगफूल पुत्र देवीलाल मीणा है। प्रार्थी की अन्य आराजीयात खाता संख्या 384 एवं खाता संख्या 425 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम जगफूल पुत्र देवीलाल मीणा सही अंकित हो रखा है प्रार्थी के पिता के फूलसिंह नाम का कोई पुत्र अंकित नही है। प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम जगफूल पुत्र देवीलाल मीणा अंकित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड एवं अन्य सरकारी दस्तावेजों में अलग अलग होने से प्रार्थी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है एवं राज्य/केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त नही कर पा रहा है तथा ना ही ऋण प्राप्त कर पा रहा है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का नाम न्यायहित में दुरूस्त किया जाकर जगफूल पुत्र दवीलाल मीणा अंकित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 2 ता 5 उक्त वर्णित आराजीयात के सहखातेदारान होने से पक्षकार बनाया गया है जिनके विरूद्ध किसी

Ruby

...गर की रिलिफ नही चाही गई है। उक्त वर्णित आराजीयात श्रीमान क्षेत्राधिकार में होने से प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीया न्यायालय को प्राप्त है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी भूमि हाल खाता संख्या 415 खसरा नम्बर 1558 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 1559 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1718 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 1719 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.19 है0, कुल किता–5, कुल रकबा 0.91 है0, वाके ग्राम सावंतगढ़ पटवारा हल्का सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है। इसी प्रकार खाता संख्या 195 खसरा नम्बर 1726 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 2235 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 2236 रकबा 0.30 है0, कुल किता–3, कुल रकबा 1.23 है0, वाके ग्राम सावंतगढ़ पटवारा हल्का सावंतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक में दर्ज भूमि में प्रार्थी का नाम फूलसिंह पुत्र देवीलाल मीणा के बजाय जगफूल पुत्र देवीलाल मीणा अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थी सरकार पैरोकार की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो इस प्रकार हैः– चरण संख्या 01 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। चरण संख्या 02 रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। (2अ) रिकार्ड की हद तक स्वीकार है। चरण संख्या 03 अस्वीकार है। देवीलाल की मृत्यु के पश्चात् तत्कालीन पटवारी हल्का ने ग्राम के मजमहे आम में जांचकर देवीलाल के विधिक वारिसो के नाम सही नामांतकरण खोला गया। चरण संख्या 04 अस्वीकार है प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। चरण संख्या 05 अस्वीकार है प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। चरण संख्या 06 न्यायिक है। चरण संख्या 07, 7(अ) कानूनी है। चरण संख्या 06 न्यायिक है। चरण संख्या 08 कानूनी है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारीज योग्य है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराया।

पेरोकार सरकार ने जवाब को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण व पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 415, खाता संख्या 195, एवं खाता संख्या 153 में फूलसिंह पुत्र देवीलाल दर्ज रिकॅार्ड है। ग्राम सावंतगढ़ के पटवार हल्का सावंतगढ़ जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 95 में प्रार्थी का नाम जगफूल पुत्र देवीलाल दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में सहखातेदारों का संयुक्त शपथ पत्र शामिल है जिसमें उक्त आराजी में दर्ज फूलसिंह पुत्र देवीलाल के बजाय जगफूल सिंह पुत्र देवीलाल सही होना बताया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में भी जगफूल सिंह पुत्र देवीलाल अंकित है जिसको दुरूस्त करवाने के लिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त वर्णित आराजीयत में प्रार्थी का नाम जगफूल पुत्र देवीलाल के स्थान पर फूलसिंह पुत्र देवीलाल सहवन से दर्ज रिकॅार्ड हो गया जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः वाके ग्राम सावंतगढ़ पटवार हल्का सावंतगढ़ तहसील देवली की जमाबन्दी सम्वत् 2073–76 के खाता संख्या 415 खसरा नम्बर 1558 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 1559 रकबा 0.02 है0, खसरा नम्बर 1718 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 1719 रकबा 0.23 है0, खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.19 है0, कुल किता–5, कुल रकबा 0.91 है0 एवं खाता संख्या 195 खसरा नम्बर 1726 रकबा 0.72 है0, खसरा नम्बर 2235 रकबा 0.21 है0, खसरा नम्बर 2236 रकबा 0.30 है0, कुल किता–3, कुल रकबा 1.23 है0 व खाता संख्या 153 खसरा नम्बर 2239 रकबा 0.3600 है0 में दर्ज फूलसिंह पुत्र देवीलाल के स्थान पर जगफूल पुत्र देवीलाल मीणा राजस्व रिकॅार्ड करने में दर्ज करने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Ruby

उपखण्ड अधिकारी
देवली